



उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-4

संख्या-1306/36-4-2026-1823753

लखनऊ: दिनांक : 10-09-2026

कार्यालय-आदेश

वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ-773/दस-62(एम0)/2008 दिनांक 05-11-2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ-2-190/दस-62 (एम0) / 2008टी.सी-1 दिनांक 03-03-2015 एवं शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ-2-871/दस-62 (एम0)/ 2008 दिनांक 26-08-2018 तथा श्रम अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-682/36-4-2011-43/2010टी.सी दिनांक 03-05-2011 में निहित व्यवस्था के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12-08-2026 में की गई संस्तुति के अनुसार श्री महेश कुमार पाण्डेय, उप श्रमायुक्त को 10 वर्ष की सेवा दिनांक 15.03.2005 को पूर्ण करने पर दिनांक 01.12.2008 से प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे रू0 4600/- (दिनांक 13.10.2011 से उच्चीकृत होने पर ग्रेड पे 4800/-), प्रथम ए0सी0पी0 की देयता की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15.03.2011 से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में रू0 4800/- (शासनादेश दि० 13.10.2011 द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी का ग्रेड 4200/- को ग्रेड पे 4600/- में उच्चीकरण किए जाने के फलस्वरूप रू0 5400/- (लेवल-10) तथा द्वितीय ए०सी०पी० की देयता की तिथि 15.03.2011 से 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15.03.2021 से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में ग्रेड पे 6600/- (लेवल-11) का लाभस्वीकृत किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय) 30प्र0 प्रयागराज ।
- 2- श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर ।
- 3- वित्त नियंत्रक, श्रमायुक्त कार्यालय 30प्र0 कानपुर।
- 4- संबंधित अधिकारी द्वारा श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर ।
- 5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(किरण कुमारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।